

सं. 104/106/2007-सीआरएस

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

.....

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर, 2007

आदेश

सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने से संबंधित नए नीतिगत दिशानिर्देश दिसम्बर, 2006 में जारी किए जाने के परिणामस्वरूप इन नए दिशानिर्देशों को मौजूदा सामुदायिक ऑपरेटरों पर लागू करने से संबंधित मामले पर मंत्रालय में विचार किया गया है और यह एतद्द्वारा यह सूचित करता है कि नए नीतिगत दिशानिर्देश, 2006 के प्रावधान मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों/ऑपरेटरों पर भी लागू होंगे। इन दिशानिर्देशों की एक प्रति मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

2. तथापि सभी मौजूदा सामुदायिक रेडियो ऑपरेटरों से यह अपेक्षा होगी कि वे इस मंत्रालय के साथ अनुमति प्रदान करने वाले संशोधित करार (जीओपीए) को सम्पन्न करें जिसके लिए वे अलग से आवेदन कर सकते हैं और ऐसा न करने पर उस आदेश के जरिए प्रदान किए गए लाभों को वापस लिया गया माना जाएगा।

(एम.वी. विजयन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं. 23384754

सेवा में,

सभी मौजूदा सामुदायिक रेडियो ऑपरेटर